

15.05.2025:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी वकील अनुउपस्थित है। प्रार्थी का मूल वादपत्र खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त कर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे स्थगन आदेश दिनांक 29.03.2022 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

*hsh*  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

